न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा

आ0ई0आर0 केस नं0–23 / 2019–20

मु0 मंसूर आलम

बनाम

रामदेव रविदास वगैरह

20/5/25

–: आदेश :–

आवेदक मु0 मंसूर आलम, पिता–स्व0 मु0 जफीरूद्दीन, सा0–परसा, थाना–हनवारा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा मौजा परसा, थाना नं0–471, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321, रकवा–00–00–15 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल आवेदन, कारण–पृच्छा, कागजात एवं अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा परसा, थाना नं0–471, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321, कुल रकवा–00–06–14 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी शेख जमीरूद्दीन वगैरह के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत मु0 महमुली के पोता हैं। जमाबंदी रैयत मु0 महमुली को चार पुत्र (1) मकबुल (2) अबुल (3) गुलाम रसूल एवं (4) जफीरूद्दीन थे। आवेदक मु0 जफीरूद्दीन के पुत्र हैं तथा मौजा परसा, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321 इनके हिस्से की जमीन है जिसपर आवेदक जोत–आबाद करते थे। विपक्षी एक बाहरी व्यक्ति है जो अलग जाति के हैं, जिसका जमाबंदी रैयत से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि को बाजबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है तथा उक्त भूमि को ये दिनेश रविदास के हाथों बेच रहे हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत रैयती भूमि अहस्तांतरणीय है। अंत में अनुरोध करते हैं कि प्रश्नगत भूमि से विपक्षी को उच्छेद कर आवेदक को दखल दिलाया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा परसा, थाना नं0–471, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321 पर विपक्षी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। वास्तव में दाग नं0–321 और एक अन्य दाग नं0–928 के लिए क्रि0मि0केस नं0–682 / 2004 के तहत धारा–147 द0प्र0स0 वाद के तहत कार्यवाही हुई थी, जिसमें विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–14.07.2005 को आंदेश पारित करते हुए मौजा परसा, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321 के कब्जे की पुष्टि की और कब्जा प्रदान किया गया। मौजा परसा, जमाबंदी नं0–43, दाग नं0–928 से सटा हुआ प्रश्नगत भूमि है जिसका उपयोग विपक्षी रास्ता के रूप में करते आ रहे हैं। मौजा परसा, जमाबंदी नं0–59, दाग नं0–931 पर विपक्षी का अपना पैतृक घर है जिसमें विपक्षी सपरिवार वसोवास करते चले आ रहे है तथा प्रश्नगत भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में कर रहे हैं। प्रश्नगत भूमि 80 फीट लंबा एवं 08 फीट चौड़ा है जो दाग नं0–916 सरकारी रास्ता में मिल जाता है। अंत में अनुरोध करते हैं कि वर्तमान वाद खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1351/रा0, दिनांक–08.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा परसा, थाना नं0–471, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321, रकवा–00–06–14 धूर गत गेंजर सर्वे पर्चा में जमाबंदी रैयत शेख रहमत मंडल वो शेख महबुब वो शेख महमदी पेसरान शेख नाजीर कौम शेख, सा0–देह के नाम से दर्ज है। आवेदक मो0 मंसूर आलम जमाबंदी रैयत शेख महमदी का पोता है। विपक्षीगण रामदेव रविदास, पिता–स्व0 चेथरू रविदास वो मुनेश्वर रविदास, पिता–रामेदव रविदास वो बिन्दो देवी पति–रामेदव रविदास सा0–परसा जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। प्रश्नगत भूमि दाग नं0–321 के अंदर रकवा–00–00–11–7.5 धूरकी भमि पर ईंट दिवाल फुस छावनी का एक कमरा एवं शेष भूमि पर मकान निर्माण हेतु लिनटन लेवल तक कार्य किया गया है एवं भूमि दखल में है। अभी मकान निर्माण कार्य बंद है। प्रश्नगत भूमि को गैर जमाबंदी रैयत के द्वारा विक्रय किया गया है। प्रश्नगत भूमि अविक्रयशील है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 के तहत रैयती भूमि अहस्तांतरणीय है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा परसा, थाना नं0–471, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321, रकवा–00–06–14 धूर गत गेंजर सर्वे पर्चा में जमाबंदी रैयत शेख रहमत मंडल वो शेख महबुब वो शेख महमदी पेसरान शेख नाजीर कौम शेख, सा0–देह के नाम से दर्ज है। विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग विपक्षी रास्ता के रूप में कर रहे हैं जो अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का क्रि0मि0केस नं0–682/2004 में पारित आदेश से मिला है परन्तु विपक्षी के द्वारा क्रि0मि0केस नं0–682/2004 में पारित आदेश की प्रति या दस्तावेज/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा है जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यो से संतुष्ट होकर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षीगण को मौजा परसा, थाना नं0–471, जमाबंदी नं0–114, दाग नं0–321 के अंदर रकवा–00–00–15 धूर जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि वे जमीन पर आवेदक को दखल दिहानी दिलाकर अनुपालन से न्यायालय को अवगत करावें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

20/5/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

20/5/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.08.20 17:36:26 +05:30
Location: 10.93.203.49